जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं तकीनीकी अनुमोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक– 07.11.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 07.11.2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, कौशाम्बी।	सदस्य
11	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	सदस्य सचिव
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) कौशाम्बी।	कार्यदायी संस्था

सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी की 02 नग रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(रू. 05.00 करोड से कम लागत के डी0पी0आर0)

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रू0 लाख में)	सेन्टेज (रू0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रू0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रू0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIRATHU	BHADHERI	KARA	1	591	176.78	18.73	195.51	3287
2	CHAIL	KAMALPUR	CHAIL	1	231	80.08	8.48	88.56	3375

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गयी है :–

- **"भडेहरी रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना"** के डी0पी0आर0 में ग्राम– भडेहरी के 05 मजरों क्रमशः भडेहरी, पसिगन का पुरवा, धोबियन का पुरवा, पंडितो का पुरवा व अधारा नई बस्ती को प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान "हर घर नल से जल योजनान्तर्गत भडेहरी रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना मे कुल 8.06 किमी0 पाइप लाइन एवं योजना से कुल 591 नग FHTC प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- **"कमालपुर रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना"** के डी0पी0आर0 में ग्राम– कमालपुर के 04 मजरों क्रमशः कमालपुर, टीकरी, नज्जू का पुरा व स्माइलपुर को प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान "हर घर नल से जल योजनान्तर्गत भडेहरी रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना मे कुल 2.526 किमी0 पाइप लाइन एवं योजना से कुल 231 नग FHTC प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त दोनो रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनों में पूर्व निर्मित उन्ही संरचनाओं के उपयोग का प्राविधान किया जा रहा है जो कि उपयोग योग्य है। प्रस्तुत किये जा रहे डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्य का स्थलीय परीक्षण जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता(एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा किया गया है, तदोपरान्त उसकी तकनीकी स्वीकृति उ0प्र0 जल निगम के सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी है।

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :–

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रस्तुत 02 नग रेट्रोफिटिंग पेयजल योजना के डी0पी0आर0 को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आंगणन के कार्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) का होगा।

(कार्यवाही– मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))

Scanned with OKEN Scanner

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण जल निगम से कराने के उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यो के विपरीत विरचन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी0पी0आर0 को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
(कार्यवाही– मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))
- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0 344/डब्लू–17/2020–21 दिनांक 04.06 2021 के क्रम मे 16 घंटे पम्पिग हॉवर को लेते हुए वर्ष 2037 हेतु डिजाईन किया गया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।
(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सिचाई विभाग/ मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))
- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम रू0 05.00 करोड से कम लागत के 02 नग प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0))

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से अवशेष (फेज-3) प्राक्कलन तैयार करने के सन्दर्भ मे जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि शेष 10 नग प्राक्कलन वर्तमान में वेटिंग फेज में है और दिनांक 23.11.2022 तक फर्म उक्त प्राक्कलन को प्रस्तुत करने की स्थिति मे होगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र अवशेष प्राक्कलन को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 1728 / W-74 / 631 दिनांक – 07/11/2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी ।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी ।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिर्सोर्सेस/सिंचाई कौशाम्बी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी ।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0 एल0 (जे0वी0) कौशाम्बी।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।

Scanned with OKEN Scanner